न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 71 / 2023 विविध
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 23.05.2024

1. कजोडमल जाट पुत्र श्री बजरंगलाल जाट जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
2. जगदीश पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
3. प्रहलाद पुत्र बद्री जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
4. मन्नी देवी पत्नी बद्री जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
5. रामजीलाल पुत्र बद्री जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
6. कानाराम पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
7. रामकरण पुत्र गणेश जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
8. रामनिवास पुत्र भुवाना जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
9. लाला पुत्र लादू जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
10. श्रवण पुत्र भुवाना जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
11. सूजा पत्नी धन्ना जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
12. गोपाल पुत्र रामजीवण जाति जाट निवासी चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
13. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थी
श्री विशाल शर्मा वकील अप्रार्थीगण सं0 02 लगा0 06 व 11, 12
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः–23.05.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 135 के आराजी खसरा नम्बर 85 / 1 रकबा 0.9610 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। जिसका प्रार्थी एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 प्रार्थी

लगातार..........2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

की आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 जो कि प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार है, जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थी से विवाद रखते है, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक एल आर / 23 / 346 दिनांक 01.06.2023 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते है। जो सीमा कायम की गई है उसे अप्रार्थीगण / पडौसी खातेदारान द्वारा मानने से इन्कार कर दिया है तथा अप्रार्थीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढ़कर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी को अपनी आराजीयात की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 सूचना के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आये इसलिये अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 के विरूद्ध दिनांक 08.04.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 1, 10 भी सूचना के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आये इसलिये अप्रार्थी 1, 10 के विरूद्ध दिनांक 23.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 02 लगा0 06 व 11, 12 की और से अधिवक्ता श्री विशाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब नही देना जाहिर किया। अप्रार्थी सं0 02 लगा0 06 व 11, 12 का जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

विद्वान अधिवक्ता बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 व 11, 12 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

वाके ग्राम चांदमाखुर्द में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075–2078 वाके ग्राम चांदमाखुर्द के खसरा नंबर 85/1 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा स0 3 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 01.06.2023 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 85/1 वाके ग्राम चांदमाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पक्षकारान को नोटिस जारी कर पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

23/5/24
राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू